न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास (खैरथल–तिजारा)

प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

मु0फाता बनाम अन्सार वगै0

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.03.2025	आज यह प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा वकील प्रार्थी ने दावे के साथ पेश किया। दावा वो प्रार्थना पत्र को पढा गया। वकील वादी/प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। बहस वकील प्रार्थी वो प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात वो शपथ पत्र प्रार्थी से प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला प्रतीत होता है। सुविधा सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है नापूर्ति क्षति भी प्रार्थी को ही है। अतः प्रतिवादीगण (अप्रार्थीगण) को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 05.05.2025 तक इस अमर से पाबन्द किया जाता है कि अप्रार्थीगण आराजी हाल ख0 नं0 440 रकबा 0.3000है0, 750 रकबा 0.2800है0, 749 रकबा 0.2700है0 वाके ग्राम पडासला तहसील किशनगढबास में विवादित आराजी पर मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। क्योना यह आज्ञा ताफैसला दावा स्थाई कर दी जावे जो भी आपत्ति हो हाजिर अदालत होकर उत्तर पेश करे, प्रार्थी इस अमर का रजिस्टर्ड ए.डी.तलबाना पेश करे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर दिनांक 05.05.2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास (खैरथल–तिजारा)	
5/5/25	वकील प्रार्थी उप0 वास्ते इंतजामतलबी पत्रावली दि. 16/6/25 को पेश हो।	

16/6/25 पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब अन्य कार्य में व्यस्त हैं/बाहर पधारे हैं। उभयपक्ष के अभि उप. आयन्दा दिनांक 23/07/25 को पेश हो।

रीडर

Scanned with OKEN Scanner

07/07/25 पत्रावली पेश हुई। वादी द्वारा मूलवाद अर्जी प्रा० पत्र खारिज करवा लिया गया है। अतः प्रा० पत्र वाद [illegible] भी खारिज किया जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर संलग्न मूलवाद रहे। [signature]

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (खैरथल-तिजारा)

[illegible]

नि० अं०

[thumb impression]

[illegible]